राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .1358/2017.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स मंगलम् बिल्ड डवलपर्स लि0 टोंक रोड, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत द्वितीय जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/11/2018	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की 25, 55, 61 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 24.11.2014 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर से कर योग्य माल टाईल्स तथा फर्नीचर का आयात किया गया है। अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014–18 दिनांक 14.07.14 के तहत कंपोजीशनधारी है। अपीलार्थी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित माल पर उक्त अधिसूचना के अनुसार कर देयता बनती थी किन्तु अपीलार्थी द्वारा देय कर का भुगतान नहीं किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया तथा इस क्रम में ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा करापवंचन किया जाना मानकर पारित आदेश में धारा 61 केत तहत कर की दुगुनी शास्ति रूपये 7,19,690/– आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष केवल अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपील प्रस्तुत जिसे अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड में अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री यशस्वी शर्मा व विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित। दोनों पक्षों की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधिसूचना नयी–नयी आई थी तथा कर की अदायगी नहीं किया जाना एक सद्भावी गलती थी तथापि सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा देय कर मय ब्याज का भुगतान कर दिया गया। अतः उन्होंने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को स्थगित किये जाने का निवेदन किया।	

अपील संख्या– 1358/2017..जिला...........**जयपुर**...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/11/2017	इसके विपरीत उपराजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का पुरजोर समर्थन किया। अतः सुविधा सन्तुलन राजस्व के पक्ष में ठहरता है। अतः प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनने, सशक्त अधिकारी के आदेश, अपील स्थगन आधार पर विचार किये जाने के उपरान्त, प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। समान तथ्यों पर कर बोर्ड की समन्वय खण्डपीठ अपील संख्या 1792, 1793/2008/जयपुर मैसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज लि0, बी–13, सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर निर्णय दिनांक 09.03.2017 अपीलार्थी के प्रकरणों में पूर्णतया लागू होता है। इसी प्रकार राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम, 1999 की धारा 24(4) को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पक्षकारों को सूचित किया जावें तथा पत्रावली वास्ते सुनवाई एकलपीठ कैम्प जयपुर के समक्ष दिनांक 14.12.2017 को पेश हो। (मदनलाल मालवीय) सदस्य	